

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या:-12/2022

दायर दिनांक 28.04.2022

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. श्रीगोपाल पुत्र छगनाराम 2. परमेश्वर पुत्र छगनाराम 3. गोविन्द राम पुत्र छगनाराम 4. सोहनराम पुत्र छगनाराम 5. सुवादेवी पुत्री छगनाराम 6. केसर देवी पुत्री छगनाराम 7. जमना देवी पत्नि सांवताराम 8. निर्मला पुत्री सांवताराम 9. प्रभाती पुत्री सांवताराम 10. गंगा देवी पत्नि स्व० प्रकाशचन्द 11. कार्तिक पुत्र स्व० प्रकाशचन्द नाबालिग (जरिये कुदरती संरक्षक माति गंगा देवी पत्नि स्व० प्रकाशचन्द) समस्त जाति जाट निवासीगण डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।	बनाम 1. घीसी बाई पत्नि भंवरलाल 2. प्रेम देवी पत्नि भंवरलाल 3. बाला देवी पुत्री भंवरलाल 4. महेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल 5. महावीर प्रसाद पुत्र भंवरलाल 6. राजेश कुमार पुत्र भंवरलाल 7. विजय कुमार पुत्र भंवरलाल समस्त जाति डोली निवासीगण डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।

प्रार्थना-पत्र

अन्तर्गत धारा-251 ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री चेनाराम थोरी व मुकेश थोरी वकील प्रार्थीगण।
2. श्री प्रमेश्वरलाल वकील अप्रार्थीगण।


--: निर्णय :-

दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं० 762 रकबा 1.6400 हैक्टेयर मौजा डाबड़ा, पटवार हल्का डाबड़ा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थीगण के उक्त खेत 762 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जिस हेतु नये कटाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B सबसे नजदीक रास्ता है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं० 762 पर प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




--: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खखसरा सं० 762 रकबा 1.6400 हैक्टेयर मौजा डाबड़ा में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 762 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक: 1151 दिनांक 07.06.2022 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं० 764 पर प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद डाबड़ा में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत वर्तमान डी०एल०सी० दर के हिसाब से तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार 13732 रु. बनता है जो प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक: 1151 दिनांक 07.06.2022 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक सल्लेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक सल्लेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना